दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No. 48/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.12.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी केसाराम माली पुत्र बाबुलाल जी माली, जाति– माली, निवासी– पोस्ट ऑफिस रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विजय किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी केसाराम के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.2.2022 को फर्म विजय किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी केसाराम माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ उडद मोगर (श्री रामदूत ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1640 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./380/Act/2022/380 दिनांक 18.2.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी केसाराम की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश माली उपस्थित हुये, लेकिन प्रतिवादी केसाराम के अधिवक्ता को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर देने के बावजूद प्रकरण में नियत दिनांक 29.11.2023 को तीन–तीन बार आवाजें लगवाने के बाद भी प्रतिवादी के अधिवक्ता व प्रतिवादी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 01.2.2022 को प्रतिवादी केसाराम माली पुत्र बाबुलाल जी माली, निवासी– पोस्ट ऑफिस रोड, जावाल की फर्म विजय किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी केसाराम माली से दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ उडद मोगर (श्री रामदूत ब्राण्ड) के 2 पैकेट ... 30 किलोग्राम) में से उडद मोगर (श्री रामदूत ब्राण्ड) ... एक पैक्ड बैग को खोलकर हिलामिलाकर उसमें ... किलोग्राम ... (श्री रामदूत ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना ...	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No. 48/2023	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर खरीदशुदा उदड मोगर को बराबर–बराबर मात्रा में चार प्लास्टिक जारों में भरकर जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए व एक नमूना भाग के साथ खरीदशुदा उदड मोगल के मूल लेबल को साथ में रखकर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ उडद मोगर के S-1640 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./380/Act/2022/380 दिनांक 18.2.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी केसाराम माली ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उदड मोगर (श्री रामदूत ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ उदड दाल (श्री रामदूत ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी केसाराम माली पुत्र बाबुलाल जी माली, जाति– माली, निवासी– पोस्ट ऑफिस रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विजय किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी को यह हिदायत दी जाती है कि भविष्य में मिथ्याछाप व अमानक खाद्य पदार्थो का विक्रय नही करे। प्रतिवादी केसाराम माली पुत्र बाबुलाल जी माली, खाद्य कारोबारकत्र एवं मालिक, फर्म श्री विजय किराणा स्टोर, पोस्ट ऑफिस रोड़, जावाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे ... वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 31 ... 2024 ... पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)